

ए.12018 / 28 / 2015—एम.एच.2 / एन.सी.डी.—1


भारत सरकार  
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय  
एनसीडी—1

निर्माण भवन, नई दिल्ली  
दिनांक: 10 जून, 2021

## जन—सूचना

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.10.2015 के कांजा. सं. एबी 14017/61/2008 स्था. (आर आर) के अनुपालन में अखिल भारतीय मौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई में सहायक प्रोफेसर (प्रोस्थेटिक्स एवं ऑर्थोटिक्स) पद हेतु भर्ती नियम का प्रारूप सर्वसाधारण के सूचनार्थ इसके साथ संलग्न है।

2. प्रारूप भर्ती नियमों पर कोई आपत्ति / टिप्पणी करने या सुझाव देने के इच्छुक स्टेकहोल्डर, जन—सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के अंदर अपने सुझाव अवर सचिव (डी.एस.) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के कमरा नं. 430 'सी' विंग स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड नई दिल्ली.110108 को लिखित रूप में या इस ई—मेल पते s.dharminder@nic.in पर भेज सकते हैं।

  
(धर्मेन्द्र सिंह)  
अवर सचिव, भारत सरकार  
टेलीफोन नंत्र 011—2306 2666

[भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार  
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख:

2021

सा.का.नि. . . . - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास संस्थान, मुम्बई में सहायक प्रोफेसर (प्रोस्थेटिक्स एवं ऑर्थोटिक्स) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:** (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास संस्थान, मुम्बई, सहायक प्रोफेसर (प्रोस्थेटिक्स एवं ऑर्थोटिक्स) (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2021 है।  
(ii) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि-** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
5. **निरहता- वह व्यक्ति-**

- (i) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या  
(ii) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति:** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए कारणों को लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श में, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. **व्यावृत्ति:** इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं ढालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

### अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद या अवृत्ति पद	सीधी भर्ती किए जाने वालों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक प्रोफेसर (प्रोफेटिक्स एवं ऑपरेटिक्स)	01* (2021) *कार्यभाग के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	माध्यारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', गणपत्रित अनुसंचितीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11	चयन	लागू नहीं होता।
सीधी भर्ती किए जाने वालों के लिए अपेक्षित रैमिक और अन्य वर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और रैमिक वर्हताएं प्रोन्ति अन्य तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्ति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भर्ती जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता		
(7) लागू नहीं होता।	(8) लागू नहीं होता।	(9) लागू नहीं होता।	(10) प्रोन्ति द्वारा		

प्रोन्ति: वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 में ऐसे प्राप्त्यापक (प्रोफेटिक्स एवं ऑपरेटिक्स) में से जिन्होंने उस प्रेषी में गांच वर्ष की नियमित सेवा की हो।	समूह 'क' विभागीय प्रोन्ति समिति:- 1. अध्यध्ययन संस्था, संघ लोक सेवा आयोग 2. संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 3. उप महानिदेशक(संबंधित) 4. निदेशक, अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास संस्थान, मुम्बई - सदस्य।	(11) (12) (13) प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।
		(ए. 12018/28/2015-एमएच-II)

अवर सचिव, भारत सरकार